हुक्म की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 265 / 2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

महमूद वगैरा बनाम लुम्बाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक – 03.11.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेडवा पटवार हल्का तरला के मौजा सांवलासी के खेत खसरा संख्या 250 / 124 रकबा 2.9137 हैक्ट. खसरा संख्या 186 / 124 रकबा 1.2950 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के [illegible] स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढा को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एव विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लायी जाती है। उक्त अनवान पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है. इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील सेडवा पटवार हल्का तरला के मौजा सांवलासी के खेत खसरा संख्या 250 / 124 रकबा 2.9137 हैक्ट. खसरा संख्या 186 / 124 रकबा 1.2950 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है, नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी क[illegible]त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवा[illegible]ति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.11 14:36:59 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरें की नेख[illegible] विप्रार्थीगण की उपस्थिति मे करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2022 को न्यायालय के खुले परिसर मे सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेडवा